

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डारेण्डा, राँची

पत्रांक- वि0प्रा0/बजट गैर योजना-76/09

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वर्तमान वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना व्यय हेतु मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ/लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-03-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन निम्नलिखित इकाईयों में से उपबंधित राशि का आवंटन स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रुपये 29,00,000/- (रु0 उनतीस लाख) मात्र का आवंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0स0	प्राथमिक ईकाई	विपत्र कोड	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4
1	नई मोटरगाड़ी का क्रय	43S34510009003000440	15,00,000.00
2	मोटर वाहन	43S34510009003000441	14,00,000.00
		योग :-	29,00,000.00

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक- 338/बजट दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक 624/बजट दिनांक 02.09.2025 अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाबदेही होगी।
03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे।
04. राशि के व्यय में जहाँ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।
05. यह राशि स्थापना व्यय से संबंधित है।
06. वेतन मद में राशि की कमी होने पर पूर्ण औचित्य के साथ राशि की माँग यथा समय करेंगे।
07. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
08. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।



09. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने की असुविधा नहीं हो।
10. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।
11. वित्त विभाग का पत्रांक 624/बजट दिनांक 02.09.2025 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि है।
12. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।
13. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. व्यय विवरणी टि0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आकड़ों से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि0प्रा0/बजट गैर योजना-76/09

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि0प्रा0/बजट गैर योजना-76/09-821

/राँची, दिनांक- 09.09.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/मुख्यालय स्थापना/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव